न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – महीपाल सिंह , आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर:– 81/2020 वादपत्र

अनवान

सुनील कुमार पुत्र शांति लाल शर्मा (ब्राहम्ण) आयु वयस्क निवासी रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
– वादी

बनाम

1.भँवरलाल पुत्र रामचन्द्र खाती आयु व्यस्क निवासी रेह तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2.नरेन्द्र सिंह पुत्र विशन सिंह राजपुत आयु व्यस्क निवासी मालास तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3.कमलेश पुत्र लादु लाल माण्डोत आयु व्यस्क निवासी करेड़ा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
4.शिवलाल पुत्र मुला खटीक आयु व्यस्क निवासी आमदला तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
5.महावीर पुत्र स्व0 नाथू लाल खाती आयु व्यस्क निवासी दहीमथा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
6.श्रीमती आनन्दा पुत्री स्व0 नाथु लाल खाती पत्नी सम्पत सुथार आयु व्यस्क निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7.श्रीमती सीता पुत्री स्व0 नाथु लाल खाती पत्नी मुकेश सुथार आयु व्यस्क निवासी लाछुड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
8.श्रीमती कृष्णा पुत्री स्व0 नाथु लाल खाती पत्नी दिनेश सुथार आयु व्यस्क निवासी संग्रामगढ तहसील बदनौर जिला भीलवाड़ा
9.श्रीमती बदाम देवी पत्नी स्व0 नाथु लाल खाती आयु व्यस्क निवासी दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
10.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
–प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा – 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम बाबत् विभाजन आराजियात

उपस्थित:–

1. श्री मुकेश जैन — अधिवक्ता वादी
2. एक तरफा कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09

:: निर्णय ::

दिनांक 13.09.2021

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद रेह पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 235 में आ0नं0 997 रकबा 02 बीघा भूमि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 तथा प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 08 के पिता व प्रतिवादी संख्या 09 के पति के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड़ है। जिसका उक्तानुसार वादी व प्रतिवादी हक हिस्सा अनुसार काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे है परन्तु प्रतिवादी सहमति से विभाजन को तैयार नहीं होने से यह वाद पत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादी को सुनवाई हेतु सम्मन नोटिस जरिये रजिस्टर्ड़ एडी दिनांक 05.11.2021 को जारी किये । प्रतिवादी [illegible] नियत दिनांक 15.12.2020 को उपस्थित हुआ। विपक्षीगण के सम्मन नोटिस जरिये रजिस्टर्ड [illegible] जिनकी तामिल पावती प्राप्त होकर शा0फा0 है। विपक्षीगण को प्रेषित रजिस्टर्ड [illegible] अधिक का समय होने से विधिवत माना जाना उचित होने से नियत दिनांक 28.12.2020 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। प्रकरण में तहसीलदार करेड़ा से विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.07.2021 को प्राप्त हुआ जिस पर वकील वादी ने आपत्ति प्रकट कर संशोधित प्रस्ताव मंगवाने का निवेदन किया। तहसीलदार करेड़ा से संशोधित विभाजन प्रस्ताव दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.20 12:49:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

24.08.2021 को पेश किया जिसे शामिल फाईल किया गया। वकील वादी ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस करनी चाही। वकील वादीगण की बहस सुनी गई । बहस के दौरान वकील वादी ने प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

मैनें पत्रावली, उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया तथा वकील वादी की बहस पर मनन किया । उपरोक्त विवेचन के आधार न्याय हित में तहसीलदार करेड़ा द्वारा प्रस्तुत विभाजन स्कीम अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य है। अतएवः

आदेश

प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रेह पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 247 में स्थित आराजी संख्या 997 रकबा 0.2656 हैक्टयर व आराजी संख्या 997 रकबा 0.2403 हैक्टयर कुल किता 2 रकबा 0.5059 हैक्टयर भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव अनुसार भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक से नंबर डालते हुए दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग होगा।

1. सुनिल कुमार पिता शान्तिलाल जाति ब्राहम्ण सा. देह (वादी)
   आराजी नंबर 997/3 रकबा 0.0578 है0 व 997/5 रकबा 0.1196 है0
   कुल किता 2 रकबा 0.1774 हैक्टयर किस्म बंजड़
2. नरेन्द्र सिंह पिता विशन सिंह जाति राजपुत सा. मालास (प्रतिवादी)
   आराजी नंबर 997/6 रकबा 0.0200 है0 व 997/9 रकबा 0.0178 है0
   कुल किता 2 रकबा 0.0378 हैक्टयर किस्म बंजड़
3. कमलेश कुमार पिता लादु लाल जैन सा. करेड़ा (प्रतिवादी)
   आराजी नंबर 997/2 रकबा 0.0378 है0 व 997/8 रकबा 0.0126 है0
   कुल किता 2 रकबा 0.0504 हैक्टयर किस्म बंजड़
4. नाथुलाल पिता मोहन लाल खाती फोत कायम मुकाम वारिस – महावीर प्रसाद, अणदादेवी, सीतादेवी, कृष्णादेवी पिता नाथुलाल, बदाम देवी पत्नी नाथुलाल खाती सा. दहीमथा (प्रतिवादी)
   आराजी नंबर 997/7 रकबा 0.0126 हैक्टयर किस्म बंजड़
5. भॅवर लाल पिता रामचन्द्र खाती सा. देह (प्रतिवादी)
   आराजी नंबर 997 रकबा 0.1008 है0 व 997/1 रकबा 0.1008 है0
   कुल किता 2 रकबा 0.2016 हैक्टयर किस्म बंजड़
6. शिवलाल पिता मूला खटीक सा. आमदला (प्रतिवादी)
   आराजी नंबर 997/4 रकबा 0.0261 हैक्टयर किस्म बंजड़

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखंड अधिकारी पदेन
(महीपाल सिंह)
सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.20 12:49:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 81/2020 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

सुनील कुमार पुत्र शांति लाल शर्मा (ब्राहम्ण) आयु वयस्क निवासी रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

–वादी

बनाम

1.भँवरलाल पुत्र रामचन्द्र खाती आयु व्यस्क निवासी रेह तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2.नरेन्द्र सिंह पुत्र विशन सिंह राजपुत आयु व्यस्क निवासी मालास तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3.कमलेश पुत्र लादु लाल माण्डोत आयु व्यस्क निवासी करेड़ा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
4.शिवलाल पुत्र मुला खटीक आयु व्यस्क निवासी आमदला तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
5.महावीर पुत्र स्व0 नाथू लाल खाती आयु व्यस्क निवासी दहीमथा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
6.श्रीमती आनन्दा पुत्री स्व0 नाथु लाल खाती पत्नी सम्पत सुथार आयु व्यस्क निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7.श्रीमती सीता पुत्री स्व0 नाथु लाल खाती पत्नी मुकेश सुथार आयु व्यस्क निवासी लाछुड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
8.श्रीमती कृष्णा पुत्री स्व0 नाथु लाल खाती पत्नी दिनेश सुथार आयु व्यस्क निवासी संग्रामगढ तहसील बदनौर जिला भीलवाड़ा
9.श्रीमती बदाम देवी पत्नी स्व0 नाथु लाल खाती आयु व्यस्क निवासी दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
10.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

–प्रतिवादीगण

———

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 13.09.2021 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि ——और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि —— को दी जायें।

प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रेह पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 247 में स्थित आराजी संख्या 997 रकबा 0.2656 हैक्टयर व आराजी संख्या 997 रकबा 0.2403 हैक्टयर कुल किता 2 रकबा 0.5059 हैक्टयर भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव अनुसार भूमि राजस्व रेकार्ड़ में पृथक से नंबर डालते हुए दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड़ में दर्ज की जावें। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग होगा।

1. सुनिल कुमार पिता शान्तिलाल जाति ब्राहम्ण सा. देह (वादी)
   आराजी नंबर 997/3 रकबा 0.0578 है0 व 997/5 रकबा 0.1196 है0
   कुल किता 2 रकबा 0.1774 हैक्टयर किस्म बंजड़
2. नरेन्द्र सिंह पिता विशन सिंह जाति राजपुत सा. मालास (प्रतिवादी)
   आराजी नंबर 997/6 रकबा 0.0200 है0 व 997/9 [illegible] है0
   कुल किता 2 रकबा 0.0378 हैक्टयर किस्म बंजड़
3. कमलेश कुमार पिता लादु लाल जैन सा. करेड़ा (प्रतिवादी)
   आराजी नंबर 997/2 रकबा 0.0378 है0 व 997/8 रकबा 0.0126 है0
   कुल किता 2 रकबा 0.0504 हैक्टयर किस्म बंजड़
4. नाथुलाल पिता मोहन लाल खाती फोत कायम मुकाम वारिसान – महावीर प्रसाद, अणदादेवी, सीतादेवी, कृष्णादेवी पिता नाथुलाल, बदाम देवी पत्नी नाथुलाल खाती सा. दहीमथा (प्रतिवादी)
   आराजी नंबर 997/7 रकबा 0.0126 हैक्टयर किस्म बंजड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.20 12:49:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

5. भँवर लाल पिता रामचन्द्र खाती सा. देह (प्रतिवादी)
आराजी नंबर 997 रकबा 0.1008 है0 व 997/1 रकबा 0.1008 है0
कुल किता 2 रकबा 0.2016 हैक्टयर किस्म बंजड़
6. शिवलाल पिता मूला खटीक सा. आमदला (प्रतिवादी)
आराजी नंबर 997/4 रकबा 0.0261 हैक्टयर किस्म बंजड़

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 के नाम राजस्व रेकार्ड़ में दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 13.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.20 12:49:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner